राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकःपीएस/पीएचएस/2011 दिनांकः 22.12.2011

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त प्राचार्य/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषय :– एम.बी.बी.एस. कोर्स के अन्तिम वर्ष के छात्रों तथा इन्टर्नस् को चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों की सहायतार्थ लगाये जाने के सम्बन्ध में।

राजकीय सेवारत चिकित्सकों के अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. रोगियों की देखभाल हेतु इन्टर्नस् व एम.बी.बी.एस. कोर्स के सभी राजकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के अन्तिम वर्ष के छात्रों की भी सहायता ली जाये। चूंकि ये छात्र चिकित्सक के रूप में पंजीकृत नहीं हैं अतः इन्हें चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों की सहायतार्थ लगाया जाये।
2. एम.बी.बी.एस. कोर्स के अन्तिम वर्ष के छात्रों व इन्टर्नस् को 10–15 के बैचेज् में जिला, उप–जिला व सेटेलाइट अस्पतालों में 8 घण्टे का ड्यूटी कलेण्डर बना कर वहां कार्यरत चिकित्सकों की मदद के लिये भेजा जाये।
3. सम्भागीय आयुक्त तत्काल सम्बन्धित प्राचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक व मुख्यालय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आमन्त्रित कर बैठक आयोजित करें एवं इन छात्रों व इन्टर्नस को उपरोक्त चिकित्सालयों में भिजवाने की व्यवस्था आज ही सुनिश्चित करें।
4. जिलों में अन्तिम वर्ष के छात्रों व इन्टर्नस् के ठहरने व भोजन आदि की व्यवस्था सम्बन्धित जिला कलक्टर सुनिश्चित करेंगे।
5. सभी सम्भागीय आयुक्त उक्त व्यवस्था की लगातार निगरानी करेंगें तथा प्रतिदिन दो बार, प्रातः 10 बजे एवं रात्रि 8 बजे प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को फैक्स नम्बर 2227797 पर पूर्ण वस्तुस्थित से अवगत करवायेगें।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

22-12-11

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा
एंव स्वास्थ्य विभाग